न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–124 / 2014–15

कृष्णनंदन मिश्रा वगैरह बनाम **विजय कुमार मिश्रा**

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
19/12/18	**आदेश** आवेदक कृष्णनंदन मिश्रा वो अरविन्द कुमार मिश्रा, पे0–स्व0 मदन मिश्रा, साकिन–इचीपुर, थाना–दुल्हिनबाजार, जिला–पटना के द्वारा यह वाद विजय कुमार मिश्रा, पिता स्व0 बृजनंदन मिश्रा, ग्राम+पो0+थाना–काको, जिला–जहानाबाद के विरूद्ध लाया गया है। आवेदकगण के द्वारा दुल्हिनबाजार अंचल अंतर्गत मौजा ईचीपुर, थाना नं0 255 के विभिन्न खाता, खेसरा के लिए कायम जमाबंदी सं0 432 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। **आवेदकगण का कहना है कि** (1) दुल्हिनबाजार अंचल अंतर्गत मौजा ईचीपुर थाना नं0 255 के विभिन्न खाता, खेसरा की कुल 15.72 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में शिव नारायण मिश्रा, शिवनंदन मिश्रा वो विष्णु मिश्रा, वल्दान राम किशुन मिश्रा के नाम से दर्ज है। (2) पारिवारिक वंशावली निम्न प्रकार है। 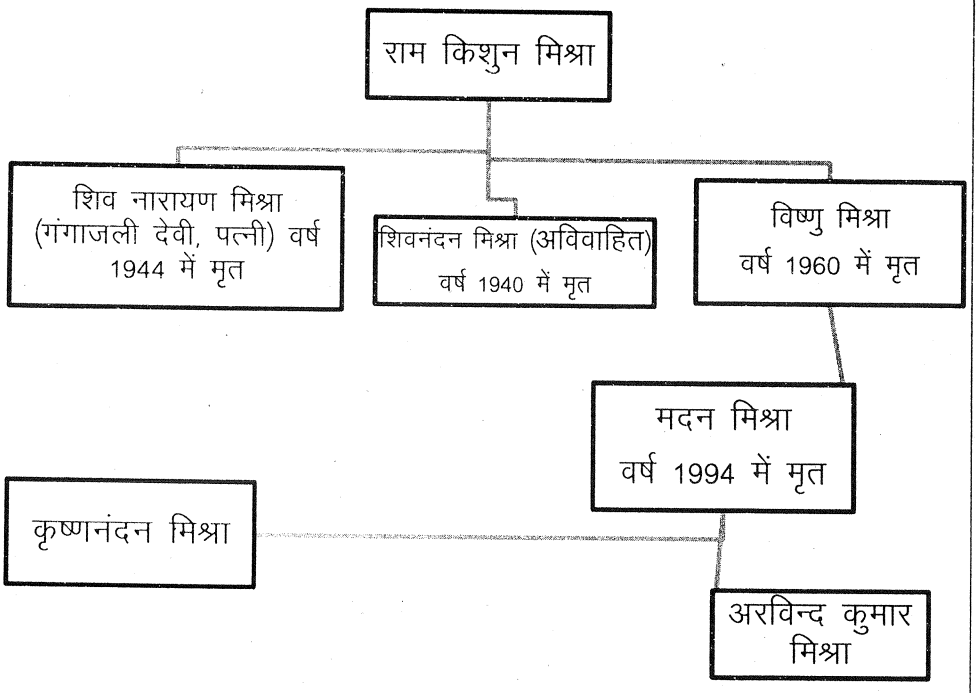 (3) शिव नारायण मिश्रा एवं शिवनंदन मिश्रा की निःसंतान स्थिति में मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की सम्पूर्ण सम्पति विष्णु मिश्रा के दखल	

कब्जा में आयी। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात विष्णु मिश्रा के नाम से जमाबंदी कायम की गयी। विष्णु मिश्रा की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र मदन मिश्रा के नाम से जमाबंदी कायम हुयी तथा लगान अदा किया जाने लगा। मदन मिश्रा की वर्ष 1994 में मृत्यु हो जाने के कारण उनके पुत्रों (इस वाद के आवेदकगण) के नाम से दाखिल खारिज होकर लगान रसीद निर्गत होने लगी। कुछ भूखण्ड की जमाबंदी आवेदकगण की माँ के नाम से भी कायम की गयी।

(4) रिवीजनल सर्वे में भी तकरारी भूखण्ड को इस वाद के आवेदकगण के पिता के दखल–कब्जा में माना गया है।

(5) विपक्षी आवेदकगण के लिए अजनबी है। वे इस परिवार के सदस्य नहीं है। विपक्षी के द्वारा गलत वंशावली के आधार पर तकरारी जमीन के कुछ भाग की जमाबंदी सं0 432 अपने नाम से कायम करवा ली गयी है। विपक्षी के नाम से कायम की गयी जमाबंदी अवैध है तथा रद्द करने योग्य है।

आवेदकगण के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है :–

(1) कृष्ण नंदन मिश्रा की जमाबंदी सं0 20 पर निर्गत $4.20\frac{1}{4}$ एकड़ की वर्ष 2012–13 की लगान रसीद

(2) अरविन्द कुमार मिश्र की जमाबंदी सं0 $\frac{39}{1}$ पर निर्गत $4.26\frac{1}{2}$ ए0 की वर्ष 2012–13 की लगान रसीद

(3) मदन मिश्र की जमाबंदी सं0 10 पर निर्गत 5.09 एकड़ की वर्ष 1986–87 की लगान रसीद

(4) नकल बजाप्ता खतियान

विपक्षी का कहना है कि

(1) यह वाद कानून की नजर में चलने लायक नहीं है तथा रद्द होने लायक है।

(2) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा तकरारी जमीन के लिए व्यवहार न्यायालय, पालीगंज में स्वत्व वाद सं0 37/13 दायर किया जा चुका है। व्यवहार न्यायालय में मामला लंबित रहते हुए आवेदकगण के द्वारा इस न्यायालय में वाद दायर करना विधि सम्मत नहीं है। व्यवहार न्यायालय में मामला लंबित रहते हुए, तकरारी जमीन के संबंध में राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना नियम सम्मत नहीं होगा।

(3) आवेदकगण के द्वारा गलत एवं झूठी वंशावली दाखिल की गयी है, जिसके लिए उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) स्वत्व वाद सं0 37/13 आदेश–फलक की सत्यापित प्रति

(2) वंशावली

(3) अंचलाधिकारी, दुल्हिनबाजार का पत्रांक–47 दिनांक–07.02.2013

(4) विजय कुमार मिश्रा की जमाबंदी सं0 432 पर 4.29 एकड़ की वर्ष 2012–13 की लगान रसीद

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं :–

(1) वंशावली का विवाद है, जिसकी राजस्व न्यायालय के द्वारा जांच नहीं की जा सकती। सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही इस विवाद का निर्णय हो सकता।

(2) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा तकरारी जमीन के लिए यहाँ वाद दायर करने से पूर्व व्यवहार न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 37/13 दायर किया जा चुका है। स्वत्व वाद के तथ्य को छुपाकर इस न्यायालय में जमाबंदी रद्द करने हेतु वाद दायर किया गया जो उचित नहीं है।

सम्यक विचारोपरान्त मेरा यह मत है कि तकरारी जमीन के स्वत्व के मामले को लेकर व्यवहार न्यायालय, पालीगंज में स्वत्व वाद सं0 37/13 विचाराधीन है। इस स्थिति में तकरारी जमीन के संबंध में राजस्व न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया जाना विधि सम्मत नहीं है।

आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना